Date: 10.7.2021	**Publication:** Dainik Bhaskar
Page no.: 9 |12| 5	**Edition:** New Delhi | Jaipur | Chandigarh
Headline: One must read the terms and conditions mentioned in policy document carefully	

बीमा पॉलिसी में शर्तों के डेढ़-दो पेज होते हैं, इन्हें जरूर पढ़ना चाहिए

भास्कर इंटरव्यू

कोविड में हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम बढ़ जाने से बीमा कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा है। सबसे अधिक परेशानी में सिंगल पोर्टफोलियो वाली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां रही हैं। यदि आप बीमा खरीद रहे हैं तो समय निकाल कर उसकी शर्तों को जरूर पढ़ लें। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एमडी एवं सीईओ **तपन सिंघल** ने दैनिक भास्कर के **स्कन्द विवेक धर** से बातचीत मे यह बाते कहीं। **पेश है बातचीत के मुख्य अंश...**

▪ कोविड से बीमा कंपनियों को खासा नुकसान हुआ है, ये कितना सही है?
हां, नुकसान तो हुआ है। बीमा कंपनियों के पास करीब 24 हजार करोड़ रुपए के क्लेम आए हैं। 15 हजार करोड़ रुपए के क्लेम सेटल भी किए जा चुके हैं। जब भी कोई आपदा आती है, तब इंश्योरेंस कंपनियों को नुकसान होता है। इसके बाद अच्छे दिन भी आ जाएंगे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बिजनेस लॉन्ग टर्म का होता है। एक दो साल के नुकसान से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।

▪ प्रीमियम से ज्यादा क्लेम की स्थिति में कंपनियां भुगतान कैसे करती हैं?
इंश्योरेंस के तीन हिस्से हैं। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में काफी प्रोडक्ट होते हैं। हेल्थ के अलावा मोटर, क्रॉप, फायर जैसे कई अन्य प्रोडक्ट होते हैं। हेल्थ का क्लेम बढ़ा तो मोटर का घट गया। उससे कुछ ऑफसेट हुआ। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां जिनका सिंगल पोर्टफोलियो होता है, उन्हें कैपिटल इन्फ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है।

▪ इंश्योरेंस कंपनियों का स्ट्रेस देखते हुए क्या प्रीमियम बढ़ सकते हैं?
ये कंपनी-कंपनी पर निर्भर करेगा। जिन कंपनियों को ज्यादा नुकसान हुआ है वे प्रीमियम बढ़ाने के लिए रेगुलेटर के पास जा सकती हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटेड प्रोडक्ट हैं। प्रीमियम बढ़ाने के लिए इरडा के पास आवेदन देना होगा। दिखाना होगा कि नुकसान हो रहा है। वहां से अप्रूवल मिलने के बाद ही दाम बढ़ सकते हैं।

▪ क्या बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने जा रही है?
हम ये देख रहे हैं कि कोविड एक अस्थायी घटना है या स्थायी घटना। हम यह ऑब्जर्व करने के बाद प्रीमियम पर निर्णय लेंगे।

▪ इरडा ने कई स्टैंडर्ड पॉलिसी लांच की है। क्या इससे बीमा कंपनियों की प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ रहा है?
देश में इंश्योरेंस का पेनेट्रेशन कम था। अलग-अलग प्रोडक्ट्स से कस्टमर कन्फ्यूज होता था। ऐसे में रेगुलेटर ने सोचा कि एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से ग्राहकों के मन में दुविधा कम होगी। रेगुलेटर ने कुछ सामान्य बीमा उत्पादों में स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ही जारी किए हैं। इससे शिकायतें कम हो जाती हैं।

▪ कंपनियां बीमा पॉलिसी की शर्तें काफी जटिल होती है। इन्हें आसान शब्दों में क्यों नहीं बता देते?
इंश्योरेंस में शर्तों के डेढ़-दो पेज होते हैं। समय निकालकर इन्हें जरूर पढ़ लेना चाहिए। इंश्योरेंस का प्रिंसिपल है कि जो बीमारी या नुकसान हो चुका है, उसका क्लेम नहीं मिलेगा। कुछ डिप्रेसिएशन होगा। डिप्रेसिएशन का शेड्यूल दिया होता है, उसे पढ़ लेना चाहिए। एक्सीडेंट अनपेक्षित होना चाहिए। अगर ये सब सही है तो क्लेम 100% मिलेगा।